प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री राजाराम निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31416/प्रोवेशन-3-फार्म-ए(एम-06.10.2022) दिनांक-07.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री राजाराम, राजपुर खर्ग, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री राजाराम को प्रथम अपराध सं0-171/1990, सत्र परीक्षण संख्या-187/92 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 452, 302 के अन्तर्गत मा0 ए0एस0जे-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त बन्दी को हत्या के द्वितीय अपराध सं0-267/2002 में सत्र परीक्षण संख्या-78/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। अपराध सं0-171/1990 सत्र परीक्षण संख्या-187/1992 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 452 व 302 के अन्तर्गत मा0 ए0एस0जे-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 की आजीवन कारावास से दण्डन संबंधी प्रति एवं घटना का अकन न होने के कारण द्वितीय अपराध सं0-267/2002 में सत्र परीक्षण संख्या-78/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा पारित आजीवन कारावास के मामले में उक्त बंदी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक अपरिहार 15 वर्ष 06 माह, 03 दिन व सपरिहार 20 वर्ष 05 माह, 14 दिन की सजा पूरी करने एवं जनपदीय अधिकारियों तथा प्रोबेशन बोर्ड की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-02 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस पर शासनादेश संख्या-169/2019/2735/22-2-2019-17(740)/2019 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 द्वारा बंदी को कारागार से रिहा किया गया।

3- इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका मिसिलेनियस क्रिमि0 संख्या-24795/2020 उमेश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2022 पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"Resultantly, the instant writ petition is allowed in part. The impugned order dated 29.11.2019 is hereby quashed. The issue of premature release of the respondent no.6 is remitted to the State Government for re-consideration, on its own merits and in accordance with law, after considering all the relevant factors, such as nature of crime committed and the impact of the remission that may be the concern of the society as well as the concern of the State Government and also life imprisonment

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

awarded by the trial Court in two murder cases i.e. in Sessions Trial No. 187 of 1991 and Sessions Trial No. 78 of 2003, expeditiously, preferably, within a period of three months from today.

For the period of three months or till fresh decision on remand, whichever is earlier, the respondent no.6-Hari Shanker shall not be taken into custody to serve the sentence as ordered by the trial Court."

4- मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के समादर में प्रोबेशन बोर्ड की बैठक दिनांक 14.09.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की पुनर्विचारित नवीन आख्या एवं बंदी को अन्य वाद में दण्डित किये जाने के संबंध में आख्या प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा अपनी पुनर्विचारित आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र राजाराम की समयपूर्व रिहाई प्रकरण में प्रोबेशन बोर्ड की बैठक दिनांक 06.10.2022 में गम्भीरतापूर्वक पुनः परीक्षण कर विचार-विमर्श किया गया। जनपदीय अधिकारियों की प्राप्त आख्या से स्पष्ट है कि उक्त बन्दी वर्ष 1990 में हत्या के मुकदमें में प्रथम अपराध सं0-171/1990 एसटी नं0-187/92, धारा-147, 148, 149, 452, 302 आईपीसी में विचाराधीन बन्दी के रूप में दिनांक 26.11.1990 को जिला कारागार सीतापुर में दाखिल हुआ तथा दिनांक 12.03.1991 को उक्त वाद में जमानत मुचलके पर कारागार से रिहा किया गया। उक्त बन्दी को मा0 न्यायालय, ए0एस0जे0-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा लम्बी सजावधि होने के कारण दिनांक 24.03.1996 को केन्द्रीय कारागार बरेली स्थानान्तरित किया गया।

उक्त बन्दी हत्या के अन्य मुकदमें में द्वतीय अपराध सं0-267/2002, एसटी नं0-78/2003 धारा-302/149, 147, 148 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03, सीतापुर के आदेश द्वारा विचाराधीन बन्दी के रूप में दिनांक 22.11.2002 को जिला कारागार सीतापुर में दाखिल हुआ एवं दिनांक 03.11.2003 को जमानत पर रिहा किया गया। अ0सं0-267/2002, एसटी नं0-78/2003 धारा-302/149, 147, 148 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। इस वाद में बंदी द्वारा अपरिहार 15 वर्ष 06 माह, 03 दिन व सपरिहार 20 वर्ष 05 माह, 14 दिन की सजा पूरी करने के उपरान्त यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-02 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-169/2019/2735/22-2-2019-17(740)/2019 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 द्वारा बन्दी को उसके अभिभावक की सुपर्दगी में कारागार से रिहा किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि बन्दी वर्ष 1990 में हत्या के मुकदमें में कारागार में बन्द हुआ और जमानत पर रिहा हुआ। इस वाद में जमानत पर छूटने के उपरान्त उसने पुनः हत्या का अपराध किया जिसमें अ0सं0-267/2002, एसटी नं0-78/2003 धारा-302/149, 147, 148 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बोर्ड के समक्ष बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचारण के समय उसे प्रथम अपराध सं0-171/1990, सत्र परीक्षण संख्या-187/92 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 452, 302 के अन्तर्गत मा0 ए0एस0जे-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित होने का कोई अभिलेख तत्समय पत्रावली में न होने एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा पूर्व में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति कर दी गयी। इस प्रकार उक्त बन्दी 02 अलग-अलग वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है तथा हत्या के मुकदमें में जमानत पर छूटने के उपरान्त पुनः हत्या का जघन्य अपराध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड का पुनर्विचारित अभिमत है कि ऐसे सिद्धदोष बन्दी को प्रोबेशन पर छोड़ना उपयुक्त नहीं है। उक्त के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र राजाराम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- अत: मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका मिसिलेनियस क्रिमि0 संख्या-24795/2020 उमेश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर (बन्दी संख्या-47572) पुत्र श्री राजाराम निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-177/2022/3102(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
4- श्री सुनील बाजपेई, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव, गृह विभाग को अवमाननावाद (सिविल) संख्या-1992/2022 उमेश दीक्षित बनाम श्री संजय प्रसाद में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2022 सन्दर्भ में सूचनार्थ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-177/2022/3102/22-2-2022-17(740)/2019

दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री राजाराम, राजपुर खर्ग, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री राजाराम को प्रथम अपराध सं0-171/1990, सत्र परीक्षण संख्या-187/92 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 452, 302 के अन्तर्गत मा0 ए0एस0जे-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त बन्दी को हत्या के द्वितीय अपराध सं0-267/2002 में सत्र परीक्षण संख्या-78/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। अपराध सं0-171/1990 सत्र परीक्षण संख्या-187/1992 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 452 व 302 के अन्तर्गत मा0 ए0एस0जे-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 की आजीवन कारावास से दण्डन संबंधी प्रति एवं घटना का अकन न होने के कारण द्वितीय अपराध सं0-267/2002 में सत्र परीक्षण संख्या-78/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा पारित आजीवन कारावास के मामले में उक्त बंदी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक अपरिहार 15 वर्ष 06 माह, 03 दिन व सपरिहार 20 वर्ष 05 माह, 14 दिन की सजा पूरी करने एवं जनपदीय अधिकारियों तथा प्रोबेशन बोर्ड की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-02 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस पर शासनादेश संख्या-169/2019/2735/22-2-2019-17(740)/2019 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 द्वारा बंदी को कारागार से रिहा किया गया।

इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका मिसिलेनियस क्रिमि0 संख्या-24795/2020 उमेश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2022 पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"Resultantly, the instant writ petition is allowed in part. The impugned order dated 29.11.2019 is hereby quashed. The issue of premature release of the respondent no.6 is remitted to the State Government for re-consideration, on its own merits and in accordance with law, after considering all the relevant factors, such as nature of crime committed and the impact of the remission that may be the concern of the society as well as the concern of the State Government and also life imprisonment awarded by the trial Court in two murder cases i.e. in Sessions Trial No. 187 of 1991 and Sessions Trial No. 78 of 2003, expeditiously, preferably, within a period of three months from today.

For the period of three months or till fresh decision on remand, whichever is earlier, the respondent no.6-Hari Shanker shall not be taken into custody to serve the sentence as ordered by the trial Court."

मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के समादर में प्रोबेशन बोर्ड की बैठक दिनांक 14.09.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की पुनर्विचारित नवीन आख्या एवं बंदी को अन्य वाद में दण्डित किये जाने के संबंध में आख्या प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा अपनी पुनर्विचारित आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र राजाराम की समयपूर्व रिहाई प्रकरण में प्रोबेशन बोर्ड की बैठक दिनांक 06.10.2022 में गम्भीरतापूर्वक पुनः परीक्षण कर विचार-विमर्श किया गया। जनपदीय अधिकारियों की प्राप्त आख्या से स्पष्ट है कि उक्त बन्दी वर्ष 1990 में हत्या के मुकदमें में प्रथम अपराध सं0-171/1990 एसटी नं0-187/92, धारा-147, 148, 149, 452, 302 आईपीसी में विचाराधीन बन्दी के रूप में दिनांक 26.11.1990

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को जिला कारागार सीतापुर में दाखिल हुआ तथा दिनांक 12.03.1991 को उक्त वाद में जमानत मुचलके पर कारागार से रिहा किया गया। उक्त बन्दी को मा0 न्यायालय, ए0एस0जे0-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा लम्बी सजावधि होने के कारण दिनांक 24.03.1996 को केन्द्रीय कारागार बरेली स्थानान्तरित किया गया।

उक्त बन्दी हत्या के अन्य मुकदमें में द्वतीय अपराध सं0-267/2002, एसटी नं0-78/2003 धारा-302/149, 147, 148 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03, सीतापुर के आदेश द्वारा विचाराधीन बन्दी के रूप में दिनांक 22.11.2002 को जिला कारागार सीतापुर में दाखिल हुआ एवं दिनांक 03.11.2003 को जमानत पर रिहा किया गया। अ0सं0-267/2002, एसटी नं0-78/2003 धारा-302/149, 147, 148 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। इस वाद में बंदी द्वारा अपरिहार 15 वर्ष 06 माह, 03 दिन व सपरिहार 20 वर्ष 05 माह, 14 दिन की सजा पूरी करने के उपरान्त यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-02 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-169/2019/2735/22-2-2019-17(740)/2019 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 द्वारा बन्दी को उसके अभिभावक की सुपर्दगी में कारागार से रिहा किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि बन्दी वर्ष 1990 में हत्या के मुकदमें में कारागार में बन्द हुआ और जमानत पर रिहा हुआ। इस वाद में जमानत पर छूटने के उपरान्त उसने पुनः हत्या का अपराध किया जिसमें अ0सं0-267/2002, एसटी नं0-78/2003 धारा-302/149, 147, 148 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बोर्ड के समक्ष बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचारण के समय उसे प्रथम अपराध सं0-171/1990, सत्र परीक्षण संख्या-187/92 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 452, 302 के अन्तर्गत मा0 ए0एस0जे-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.03.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित होने का कोई अभिलेख तत्समय पत्रावली में न होने एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा पूर्व में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति कर दी गयी। इस प्रकार उक्त बन्दी 02 अलग-अलग वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है तथा हत्या के मुकदमें में जमानत पर छूटने के उपरान्त पुनः हत्या का जघन्य अपराध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड का पुनर्विचारित अभिमत है कि ऐसे सिद्धदोष बन्दी को प्रोबेशन पर छोड़ना उपयुक्त नहीं है। उक्त के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र राजाराम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in